रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02082025-265185
CG-MH-E-02082025-265185

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947
No. 477] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 25 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 520(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के **विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् सामाखियाली गांधीधाम चौगुना परियोजना (53.00 किमी) जिला कच्छ में** के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, प्रांत अधिकारी, भचाऊ,जिला कच्छ को लिखित रुप मे किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रुप से या कानुनी प्रेक्टिशनर के माध्यम

से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नही करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कच्छ जिले में सामाखियाली गांधीधाम चौगुना परियोजना (53.00 किमी) प्रदान करने के लिए जोड़ना को भूमि अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नामः कच्छ

Sr. No.	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	भूमि का प्रकार	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्र (in Sqm.)
1	भचाऊ	चिराई नानी	236/2	खेती	0-14-70
2	भचाऊ	चिराई नानी	236/1	खेती	0-03-90
3	भचाऊ	चिराई नानी	235/P-1	खेती	0-06-70
	भचाऊ	चिराई नानी	235/P-2	खेती	
4	भचाऊ	चिराई नानी	234	खेती	0-03-72
	भचाऊ	चिराई नानी	234/P-1	खेती	
5	भचाऊ	चिराई नानी	232	खेती	0-22-42
6	भचाऊ	चिराई नानी	231/1	खेती	0-06-43
7	भचाऊ	चिराई नानी	231/2	खेती	0-06-86
8	भचाऊ	चिराई नानी	230/1/P-1	खेती	0-28-57
	भचाऊ	चिराई नानी	230/1/P-2	खेती	
9	भचाऊ	चिराई नानी	228/1	खेती	0-15-02
10	भचाऊ	चिराई नानी	228/2	खेती	0-03-97
11	भचाऊ	चिराई नानी	164/P-1	खेती	0-07-64
	भचाऊ	चिराई नानी	164/P-2	खेती	
12	भचाऊ	चिराई नानी	163	खेती	0-07-02
13	भचाऊ	चिराई नानी	162/P-1	खेती	0-11-15
	भचाऊ	चिराई नानी	162/P-2	खेती	
14	भचाऊ	चिराई नानी	161	खेती	0-06-00
15	भचाऊ	चिराई नानी	142/2	ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	0-09-71
16	भचाऊ	चिराई नानी	141/1	खेती	0-08-81
17	भचाऊ	चिराई नानी	139	खेती	0-11-10
				कुल:	**1-73-72**

[फा. सं. E.–658630]

एस. आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक –निर्माण II

MINISTRY OF RAILWAYS

(Western Railway [Construction Organization])

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th July, 2025

G.S.R. 520(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the **Special Railway Project**, **namely Samakhiyali Gandhidham Quadrupling Project (53.00 KM) in District Kutch** in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer- Bhachau, District Kutch, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections. Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, namely Samakhiyali Gandhidham Quadrupling Project (53.00 KM.) in District Kutch in the state of Gujarat.

Name of District: Kutch

Sr. No.	Name of Taluka	Village Name	Survey No.	Land Type	Area of Land to be acquired (in Sqm.)
1	Bhachau	Chirai Nani	236/2	Agriculture	0-14-70
2	Bhachau	Chirai Nani	236/1	Agriculture	0-03-90
3	Bhachau	Chirai Nani	235/P-1	Agriculture	0-06-70
	Bhachau	Chirai Nani	235/P-2	Agriculture	
4	Bhachau	Chirai Nani	234	Agriculture	0-03-72
	Bhachau	Chirai Nani	234/P-1	Agriculture	
5	Bhachau	Chirai Nani	232	Agriculture	0-22-42
6	Bhachau	Chirai Nani	231/1	Agriculture	0-06-43
7	Bhachau	Chirai Nani	231/2	Agriculture	0-06-86
8	Bhachau	Chirai Nani	230/1/P-1	Agriculture	0-28-57
	Bhachau	Chirai Nani	230/1/P-2	Agriculture	
9	Bhachau	Chirai Nani	228/1	Agriculture	0-15-02
10	Bhachau	Chirai Nani	228/2	Agriculture	0-03-97
11	Bhachau	Chirai Nani	164/P-1	Agriculture	0-07-64
	Bhachau	Chirai Nani	164/P-2	Agriculture	
12	Bhachau	Chirai Nani	163	Agriculture	0-07-02

13	Bhachau	Chirai Nani	162/P-1	Agriculture	0-11-15
	Bhachau	Chirai Nani	162/P-2	Agriculture	
14	Bhachau	Chirai Nani	161	Agriculture	0-06-00
15	Bhachau	Chirai Nani	142/2	On line record N/A	0-09-71
16	Bhachau	Chirai Nani	141/1	Agriculture	0-08-81
17	Bhachau	Chirai Nani	139	Agriculture	0-11-10
				Total Land	**1-73-72**

[F. No. E. -658630]
S R PRASAD, Chief Project Manager Con. II

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.08.02 11:21:23 +05'30'